भारतीय निर्वाचन आयोग - प्रमुख भूमिकाएं और कार्य के बारे में यहाँ पढ़ें!

भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की देखरेख करता है। Railways RRB, IBPS, SSC CGL, और Banking exams जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (भारत के निर्वाचन आयोग) पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह लेख को ध्यान से पढ़ें। इसके साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग पर आधारित इस लेख को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग

25 जनवरी 1950 में संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना की गयी। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पूरे चुनाव और नामांकन प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। जबकि पंचायत और नगर पालिका चुनावों की चुनाव आयोग द्वारा निगरानी नहीं की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग - संरचना और नियुक्तियाँ

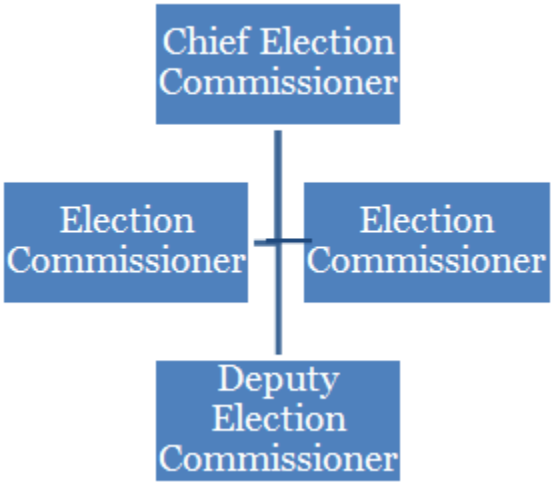

1. इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
2. राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
3. बहु-सदस्य आयोग की अवधारणा 1 99 3 से चल रही है, इससे पहले कि आयोग के पास केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त था।
4. निर्वाचन आयुक्त को चुनाव के समय उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा सहायता दी जाती है।
5. दोनों के पद समान ही होते हैं। इसके साथ ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। वेतन भारत के समेकित निधि से लिया जाता है।
6. उनके पास 6 साल का कार्यकाल है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ

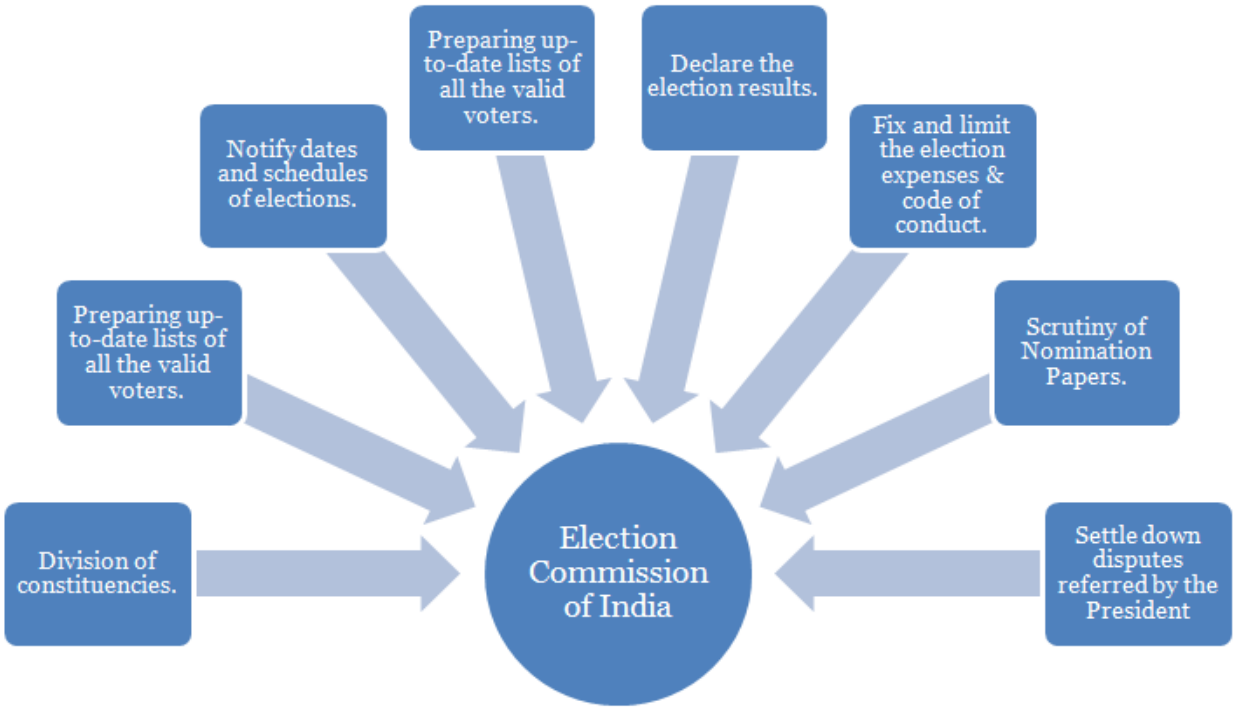

इन मुख्य जिम्मेदारियों को जोड़कर, भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित बातों का भी ख्याल करते हैं:

1. चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करना व उनमें से प्रत्येक को सीट आवंटित करना।

2. राजनीतिक दलों का आवंटन और पार्टी प्रतीक को मान्यता देना।
3. आवश्यक मतदान बूथ की संख्या निर्धारित करना।
4. चुनाव और उप-चुनावों का संचालन और निगरानी करना।
5. प्रतिभागियों द्वारा जमा चुनाव खर्च खातों की जांच करना।
6. संसद के किसी भी सदस्य के अयोग्यता के सवाल पर राष्ट्रपति को सलाह देना या राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्यता के सवाल पर राज्यपाल को सलाह देना।
7. मुख्य चुनाव आयुक्त केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग - नई पहल और सुधार

वर्षों से, आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं में कई सुधार लाए हैं। नीचे कुछ संक्षेप में बताया गया है:

1. राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण / प्रसारण के लिए राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग।
2. राजनीति के अपराधीकरण की जांच।
3. मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण।
4. मतदाताओं को पहचान पत्र प्रदान करना।
5. खातों के रखरखाव को सरल बनाना और उम्मीदवारों के प्रक्रियाओं को भरना।
6. निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए आचार संहिता के सख्त अनुपालन के लिए विभिन्न उपाय लाना।
7. 2013 में इनमें से कोई नहीं, यानी की नोटा का बटन, एससी ने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और मतपत्रों में पारित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया था। 2013 से मतदान में नोटा बटन का उपयोग किया जा रहा है।

testbook.com

स्टेटिक जीके पर आधारित अन्य लेख पढें!

भारतीय चुनाव के प्रकार	सीबीआई के कार्य और उसकी प्रमुख भूमिकायें
भारतीय चुनाव प्रक्रिया	भारत का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना

CURRENT AFFAIRS
FASTEST WAY TO PREPARE
CURRENT AFFAIRS
GET IT ON Google Play

सही योजना व कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए अपनी तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें और सभी विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें। अपनी तैयारी अभी शुरू करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं!

टेस्टबुक प्रैक्टिस से जुड़ें!

हमारे विशेषज्ञों के साथ अपने सभी प्रश्नों पर चर्चा करें और टेस्टबुक चर्चा पर विभिन्न परीक्षाओं के बारे में अपडेट रहें!

टेस्टबुक डिसकस से जुड़ें!

testbook.com